

निदेशालय आयुर्वेद,
हिमाचल प्रदेश, शिमला

ayur-hp@nic.in

दूरभाष: 0177-2622262

फैक्स 0177-2622010

संख्या: अयुर.एच.(3)-4/85-1 (सामान्य)स्व0 अभि0

दिनांक

शिमला-9

कार्यालय आदेश

निदेशक स्वास्थ्य सुरक्षा व नियामक हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या 7869 दिनांक 01.12.2015 जोकि तम्बाकू निषेध सम्बन्धित है। पत्र की अनुपालना में निदेशालय व अधीनस्थ शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू निषेध सम्बन्धित पालना हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को अपने संस्थानों का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

1. प्रधानाचार्य, रा0गा.स्ना0रा.आ0महा0पपरोला जिला काँगड़ा
2. प्रधानाचार्य, राजकीय फार्मसी महाविद्यालय, जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी

(Signature)
(डा0.संदीप भटनागर)
निदेशक आयुर्वेद
हिमाचल प्रदेश

पृष्ठांकन संख्या: उपरोक्त 20724-27

3/12/15

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान सचिव (आयुर्वेद) हिमाचल प्रदेश सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपरोक्त अधिकारियों को पत्र संख्या 214/2013 दिनांक 13.12.2013 और 7869 दिनांक 01.12.2015 की प्रतिलिपियों सहित सूचनार्थ व दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुपालना हेतु प्रेषित।
3. प्रबन्धक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान, सचिवालय भवन, शिमला-2 को इस आशय से उपलब्ध कराई जा रही है कि इसे विभागीय साईट पर अपलोड करने की कृपा करें।

(Signature)
(डा0.संदीप भटनागर)
निदेशक आयुर्वेद
हिमाचल प्रदेश

PSA(SSH)
A&E
6-1-16